

R.B.E.NO. 1/97

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SAHAKAR
 MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
 (RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-95/PM9/11

New Delhi, dated 1-1-97

The General Manager (A/C),
 Western Railway,
Mumbai.

Sub:- Promotion to the post of Sr.SO(A/Cs)
 Sr. TIA/Sr.ISA in the scale Rs.2000-
 3200 - Accounts Department.

Please refer to the correspondence resting
 with your letter No.ADM/I/A9215/E.839/1211/vol .III dated
 22.5.96 on the above subject.

2. The practice followed on your Railway of
 allowing the Accounts Staff who after qualifying in
 Appendix-III examination and promotion to the grade
 Rs. 1640-2900 in one group subsequently qualify in the
 Appendix-III Examination in another group and switch
 over to such other group to count the service rendered
 in one group in that grade towards reckoning three years
 service for promotion to the next higher grade of Rs.
 2000-3200/- in the other group, may be discontinued forth-
 with.

3. Please acknowledge receipt.

(J.S. Gusain)
 Joint Director Estt.(N)
 Railway Board

NO.E(NG)I-95/PM9/11

New Delhi, dated 1-1-1997

Copy to : General Manager(A/Cs), All Indian Railways and
 Production Units(except Western Railway).

(J.S. Gusain)
 Joint Director Estt.(N)
 Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड

आर.बी.ई. सं. 1/97

सं. ई.एन.जी. 1-95/पी.एम. 9/11

नई दिल्ली, दिनांक 1-1-97

महाप्रबंधक (लेखा),
पश्चिम रेल,
मुंबई.

विषय:- लेखा विभाग में 2000-3200/-रु. के वेतनमान में वरिष्ठ
अनुभाग अधिकारी (लेखा) वरिष्ठ टी.आई.ए. / वरिष्ठ
आई.एस.ए. के पद के लिए पदोन्नति.

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22.5.96 के पत्र सं. ए.डी.एम./
1/ए 9215/ई. 839/1211/वाल. 111 के साथ रूके हुए बत्राचार का अवलोकन
करें.

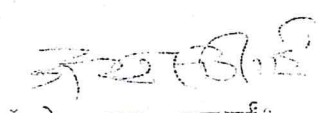
2. लेखा विभाग के उन कर्मचारियों के बारे में, जो अपेंडिक्स 111 परीक्षा
पास करने के बाद और एक ग्रुप में 1640-2900 रुपये के ग्रेड में पदोन्नति के बाद
दूसरे ग्रुप में अपेंडिक्स 111 परीक्षा पास करते हैं और ऐसे दूसरे ग्रुप में पदोन्नत
हो जाते हैं और 2000-3200 रुपये के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए तीन
वर्ष की सेवा शर्त को पूरा करने के लिए, पहले ग्रुप में की गई सेवा को शामिल
करने की आपकी रेलवे पर मौजूदा परिपाटी तुरंत समाप्त कर दी जाए।

3. कृपया पावती दें.


जे. एस. गुसाई
संयुक्त निदेशक, स्था. ए.एन.
रेलवे बोर्ड.

सं. ई.एन.जी. 1-95/पी.एम. 9/11 नई दिल्ली, दिनांक 1-1-1997

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (लेखा) सभी भारतीय रेलों और उत्पादन
इकाईयां पश्चिम रेलवे को छोड़कर


जे. एस. गुसाई
संयुक्त निदेशक, स्था. ए.एन.
रेलवे बोर्ड.